

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-216/15
संस्थापित दिनांक-25.08.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन
विरुद्ध
1- रामदास पुत्र धनुराम जाटव उम्र 35 साल 2- मुकेश जाटव पुत्र धनुराम जाटव उम्र 32 साल 3- श्रीमती मिथलेश पत्नी रामदास जाटव उम्र 25 साल 4- श्रीमती अनीता पत्नी मुकेश जाटव उम्र 25 साल निवासीगण- ग्राम लिधौरा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0आरोपीगण

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 10.03.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324/34, 323(2-शीर्ष), 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 11.04.2015 को रात करीब 8 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम लिधौरा में फरियादी के घर के सामने फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादिया पार्वतीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपी रामदास ने फरियादी पार्वतीबाई की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादिया पार्वतीबाई की मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त आशय के अग्रसरण में आरोपीगण मुकेश, मिथलेश व अनीता ने फरियादिया पार्वतीबाई व आहत कमल की लाठी व लात-घूसों से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं पार्वतीबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 21.02.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण **रामदास, मुकेश, श्रीमती मिथलेश, श्रीमती अनीता** को भा.द.वि की धारा 294, 323(2-शीर्ष), 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादिया पार्वतीबाई ने अपने पति अर्जुन व लडके कमल के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 11.04.2015 को करीब 8 बजे वह घर पर थी कि देवर रामदास उसे मां बहन की बुरी बुरी गालियां देता हुआ आया और बोला कि बाहर निकल, तभी वह बाहर निकल कर आई इतने में रामदास की घरवाली मिथलेश व भाई मुकेश अनीता आ गये, आरोपीगण उसे बुरी बुरी गालियां देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो रामदास ने उसे पकड़ लिया व जाने नहीं दिया व रामदास ने उसे कुल्हाड़ी मारी जो उसे सिर में लगी चोट होकर खून निकल आया, उसका लडका कमल बचाने आया तो मुकेश ने उसे लाठी मारी जो उसके सिर में लगी फिर वह चारों मिलकर उसकी व लडके की लात घूसों से मारपीट करने लगे, मारपीट के कारण उसे दायां पैर, घुटने व पीठ में चोटें आईं। जब वह चिल्लाई तो महेश जाटव व मेवालाल पाल आ गये जिन्होंने पूरी घटना देखी व बीच बचाव किया। फिर वह और उसका लडका जाने लगे तो चारों कहने लगे की अगर रिपोर्ट करने गये तो जान से मार देगे बोलकर चले गये। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.04.2015 को रात करीब 8 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम लिधौरा में फरियादी के घर के सामने फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई की मारपीट करने का आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में रामदास ने फरियादी पार्वतीबाई की कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादिया पार्वतीबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह समस्त आरोपीगण को जानती है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर रात करीब 8—9 बजे की है। आरोपीगण से उनकी जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर आरोपी रामदास घर के बाहर रास्ते पर गालियां दे रहा था तो वह घर के बाहर निकलकर आ गई, तो रामदास की पत्नी मिथलेश व देवर मुकेश व उसकी घरवाली अनीता भी आ गये। उक्त चारों लोग उसके साथ गाली गलौच करने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण उसके साथ झगडा करने अमादा हो गये और आरोपी रामदास से धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उसके सिर में चोट आ गई थी। झगडे की

आवाज सुनकर उसका लडका कमल भी आ गया था, जिसकी भी आरोपीगण से धक्का मुक्की हो गई थी और उसे भी गिरने से मामूली चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में साक्षी ने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और घटना का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था पुलिस ने उसकी तथा कमल की चोटों का परीक्षण कराया था तथा पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा पार्वतीबाई अ0सा01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि रामदास ने एक कुल्हाड़ी उसके सिर में मारी चोट होकर खून निकलने लगा। इस बात से इंकार किया कि उसका लडका कमल उसे बचाने आया तो मुकेश ने उसकी लाठी से मारपीट कर दी। इस बात से इंकार किया कि चारों आरोपीगण मिलकर लाठी व लात घुसो से उसकी मारपीट करने लगे। इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण की मारपीट से उसके सिर पीठ व पैर में चोटे आई व कमल के सिर पर चोटे आई। इस बात से इंकार कि घटना के समय महेश जाटव तथा मेवालाल मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकती। इस बात को स्वीकार किया कि आज उसका तथा उसके बेटे कमल का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी कमल जाटव अ0सा02 का कहना है कि वह समस्त आरोपीगण को जानता है। फरियादिया पार्वती बाई को जानता है वह उसकी मां है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर रात करीब 8—9 बजे की है। आरोपीगण से उनका जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है। घटना दिनांक को वह अपने खेत में भूसा भर रहा था तभी उसे हल्ला की आवाज आई। वह भागकर पहुँचा तो देखा कि आरोपीगण उसकी मां पार्वती के साथ गाली गलौच कर रहे थे। उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण उसकी मां के साथ झगडा करने अमादा हो गये और आरोपीगण से धक्का मुक्की में पत्थर पर गिर जाने से उसकी मां के सिर में चोट आ गई थी। आरोपीगण की उसके साथ भी धक्का मुक्की हो गई थी और उसे भी गिरने से मामूली चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसकी मां पार्वती बाई ने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी। पुलिस घटना स्थल पर आई थी।

09— अभियोजन अधिकारी द्वारा कमल जाटव अ0सा02 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि रामदास ने उसकी मां को पकड़ लिया। इस बात से इंकार किया कि रामदास ने एक कुल्हाड़ी उसकी मां के सिर में मारी चोट होकर खून निकलने लगा। इस बात से इंकार किया कि वह बचाने गया तो मुकेश ने उसके लाठी मारी जो उसके सिर में लगी, चोट होकर खून निकल आया। इस बात से

इंकार किया कि एक लाठी कंधे पर मारी। इस बात से इंकार किया कि चारो आरोपीगण मिलकर लाठी व लात घुसो से उसकी व उसकी मां पार्वती बाई की मारपीट करने लगे। इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण की मारपीट से उसके सिर, पीठ, आदि में चोटे आई थी। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय महेश जाटव तथा मेवालाल मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी और बीच बचाव किया। इस बात को स्वीकार किया कि उसका तथा उसकी मां पार्वतीबाई का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।

10— पार्वतीबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानती है। आरोपीगण से उसका जमीन को लेकर पूर्व से विवाद चल रहा है, इसी बात को लेकर साक्षी पार्वतीबाई का आरोपीगण से गाली गलौच हो गई थी और धक्का मुक्की में उसे तथा कमल को गिरने से चोट आ गई थी, इसके अलावा आरोपीगण ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की तथा अभियोजन द्वारा कमल अ0सा02 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी फरियादी पार्वतीबाई एवं आहत कमल जाटव ने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है।

11— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 11.04.2015 को रात करीब 8 बजे थाना चंदेरी अन्तर्गत ग्राम लिधौरा में फरियादी के घर के सामने फरियादिया श्रीमती पार्वतीबाई को कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः **अभियुक्त रामदास, मुकेश, श्रीमती मिथलेश, श्रीमती अनीता निवासीगण ग्राम लिधौरा थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

13— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

14— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

//5//दाण्डक प्रकरण कमांक-216/15